

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-23/2017 | 1125 /चि0-3-17-टी-1(15)/2017  
लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2017

कार्यालय जाप

डा0 गोपाल जी0 प्रसाद, रेडियोलॉजिस्ट (वरि0क्र0-10993, लेवल-3), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पियरगंज, गोरखपुर का स्थानान्तरण कार्यालय जाप संख्या-4523/सेक-2-पॉंच-12-4(332)/2012, दिनांक 21-12-2012 द्वारा जिला चिकित्सालय, देवरिया में किया गया, जिसके अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के आदेश संख्या-स्था0/चि0अ0/2015-16/21134-9, दिनांक 27-11-2015 द्वारा इन्हें जनपद गोरखपुर से कार्यमुक्त किया गया। डा0 गोपाल जी प्रसाद ने दिनांक 01-12-2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देवरिया के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देवरिया के पत्र दिनांक 03-12-2015 द्वारा जिला चिकित्सालय, देवरिया में रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त न होने के कारण उन्हें वापस करते हुये निर्देशित किया कि वो अपने समायोजन के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर एवं अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2- डा0 गोपाल जी प्रसाद के पत्र दिनांक 04-12-2015 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को योगदान/समायोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-स्था0/चि0अ0/2015-16/22475-6, दिनांक 11-12-2015 द्वारा डा0 प्रसाद को शासन से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया। डा0 गोपाल जी प्रसाद के पत्र दिनांक 04-05-2017 द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद गोरखपुर से जिला चिकित्सालय, देवरिया किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुये जनपद गोरखपुर अथवा जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में डा0 गोपाल जी0 प्रसाद के प्रत्यावेदन दिनांक 04-05-2017 एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय जाप संख्या-4523/सेक-2-पॉंच-12-4(332)/2012, दिनांक 21-12-2012 द्वारा डा0 गोपाल जी0 प्रसाद, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पियरगंज, गोरखपुर से जिला चिकित्सालय, देवरिया किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुये उन्हें जिला चिकित्सालय, संतकबीर नगर में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 गोपाल जी प्रसाद के वेतन आदि के सम्बन्ध में अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर से आख्या प्राप्त करने के उपरान्त पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

4- डा0 गोपाल जी प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव


1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 23/2017/1125 (1)/चि0-3-17. तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/बस्ती मण्डल, बस्ती।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देवरिया/संतकबीर नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/देवरिया/संतकबीर नगर
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।